ग्लोबल: दुनिया भर में तकनीकी प्रणालियां लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा दे रही हैं

पूरी दुनिया में विभिन्न तकनीकी प्रणालियां लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा दे रही हैं और सत्ता की नस्लीय, सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बना रही हैं, ऐसा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज एक <u>ब्रीफिंग</u> में कहा। इस ब्रीफिंग का शीर्षक है, "जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स इन डिजिटल एज"

हाशिए पर रहने वाले समूह जिनमें महिलाएंऔर एलजीबीटीआई लोग शामिल हैं, उन्हें अपने मानवाधिकारों पर खतरे का सामना करना पड़ता है। इस खतरे का कारण व्यापक और अनुचित डेटा संग्रह के तरीके हैं जो उनकी व्यक्तिगत वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करते। सरकारें डेटा हड़पने की ऐसी रणनीति को उचित ठहराती हैं ये कहते हुए कि सार्वजनिक क्षेत्र में लाभांश भुगतान के लिए स्वचालित प्रणालियों को शुरू करने का ये कम लागत वाला समाधान है।जबिक बड़ी टेक कंपनियां अपने आकर्षक निगरानी-आधारित व्यवसाय मॉडल के लिए उपयोगकर्ता का व्यक्तिगत डेटा जमा करती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं।

बहुत भारी मात्रा में डेटा के इस कम-नियंत्रित संचय और प्रसंस्करण से न केवल हानिकारक सामूहिक निगरानी होती है बल्कि ये महिलाओं और एलजीबीटीआई लोगों के खिलाफ भेदभाव को भी बढ़ावा देता है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल में प्रौद्योगिकी और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शोधकर्ता इमोजेन रिचमंड-बिशप ने कहा, "डिजिटल आईडी सिस्टम के अनियंत्रित कार्यान्वयन से लेकर सामाजिक लाभ प्रणालियों में उपयोग किए जा रहे एल्गोरिदम तक, दैनिक जीवन के हर पहलू में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।ये सब पहले से मौजूद वैश्विक लिंग आधारित 'डिजिटल विभाजन' के बीच हो रहा है, जहां ऐतिहासिक असमानता के पैटर्न के कारण प्रौद्योगिकी तक पहुंच कुछ लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दी गई है।"

"शासन के लिए शुरू की गई कोई भी तकनीक इस मौजूदा डिजिटल अंतर के भेदभावपूर्ण संदर्भ में अंतर्निहित है।"

उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में, राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण (NADRA) ने अपने कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र (CNICs) पर 'X' श्रेणी को निलंबित कर दिया। इस श्रेणी ने व्यक्तियों को पुरुष या महिला के अलावा किसी अन्य लिंग की पहचान करने की अनुमित दी थी। इस निर्णय ने हजारों ट्रांसजेंडर और लिंग-विविध व्यक्तियों को वैध पहचान के दस्तावेजों से वंचित कर दिया, जिससे वे अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सके। इन अधिकारों में मतदान करना या स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाना शामिल है। हालाँकि, 'X' श्रेणी के तहत पंजीकरण सितंबर 2023 में फिर से शुरू कर दिया गया।

इस डिजिटल विभाजन के अलावा, कई अन्य बाधाएं हैं जिनका महिलाओं, लड़कियों और एलजीबीटीआई लोगों को डिजिटल क्षेत्र में अपने मानवाधिकारों का प्रयोग करते समय सामना करना पड़ता है। इनमें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, अधिकारों और गर्भपात जैसी सेवाओं के बारे में जानकारी तक पहुंच शामिल है।

जब सरकारें या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक पहुंच को सीमित करते हैं, विशेष रूप से वो प्रमुख सेवाएं जो महिलाओं और एलजीबीटीआई लोगों के लिए हैं, तो यह स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। यह प्रवृत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ रही है, जहां गर्भपात अधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों ने मेटा और टिकटॉक पर <u>गर्भपात से संबंधित सामग्री को हटाने</u> की सूचना दी है, जिसके जरिए लोगों को जीवन-रक्षक जानकारी तक पहुंचने से प्रभावी ढंग से रोका जा रहा है।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करने वाली प्रणालियां, हानिकारक और भेदभावपूर्ण सामग्री के विस्तार से पूर्वाग्रह को भी बढ़ावा दे सकती हैं। <u>टिकटॉक पर एमनेस्टी</u> <u>इंटरनेशनल के शोध</u> में पाया गया कि अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर कंपनी लिंग और रुचियों सिहत उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत विशेषताओं का अनुमान लगाती है, जिससे कंटेंट और विज्ञापनों को वैयक्तिकृत और उपयोगकर्ता की रुचि के अनुसार किया जा सके।

स्पाइवेयर के उपयोग के ज़रिए लक्षित डिजिटल निगरानी भी तकनीकी-सुविधा प्राप्त लिंग-आधारित हिंसा (TfGBV) का एक रूप बन सकती है। महिलाओं और एलजीबीटीआई लोगों को मानवाधिकार सक्रियता में शामिल होने के लिए लक्षित किया जाता है एवं निगरानी की जाती है और इस लक्ष्यीकरण के कारण उन्हें कई प्रकार के लैंगिक प्रभावों का सामना करना पड़ता है।

<u>थाईलैंड में एमनेस्टी इंटरनेशनल के शोध</u> से खुलासा हुआ कि कैसे कार्यकर्ताओं को राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा डिजिटल निगरानी और ऑनलाइन उत्पीड़न के साथ दुर्भावनापूर्ण और गैरकानूनी तरीके से लक्षित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं और एलजीबीटीआई मानवाधिकार रक्षकों को गहरा हानिकारक लिंग आधारित प्रभाव झेलना पड़ा। कुख्यात पेगासस स्पाइवेयर सहित इस तरह के खतरनाक लक्ष्यीकरण ने एक "द्रुतशीतन प्रभाव" पैदा किया है, जिसके कारण कुछ मामलों में स्व-सेंसरशिप या सक्रियता से वापसी हुई है।

थाईलैंड में महिलाओं और एलजीबीटीआई कार्यकर्ताओं को भी डराने, परेशान करने और चुप कराने के उद्देश्य से ऑनलाइन उत्पीड़न के विभिन्न रूपों का सामना करना पड़ा, जिसमें डॉक्सिंग, बदनाम करने वाले अभियान, धमकियां और अपमानजनक संदेश शामिल हैं।

इमोजेन रिचमंड-बिशप ने कहा, "यह ज़रूरी है कि सरकारें और निजी अभिकर्ता प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने और इसके नुकसान को संबोधित करने के लिए स्पष्ट रूप से लिंग समावेशी दृष्टिकोण अपनाएं। यदि ये प्रणालियां महिलाओं और एलजीबीटीआई लोगों के लिए भेदभाव और असमानता को कायम रखती हैं, तो उनको उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए"

पृष्ठभूमि

2024 में, <u>एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत के तेलंगाना राज्य में उपयोग की जा रही समग्र वेदिका प्रणाली के</u> बारे में एक तकनीकी व्याख्या प्रकाशित की। ये तकनीकी व्याख्या उन मीडिया <u>रिपोर्टों</u> का अनुसरण करती है जिनमें खाद्य सुरक्षा, आय और आवास से संबंधित सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुंच से हजारों लोगों को वंचित करने के लिए समग्र वेदिका को दोषी ठहराया गया है।

2023 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल के शोध, <u>ट्रैप्ड बाय ऑटोमेशन: पावर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन सर्बियाज़</u> <u>वेलफेयर स्टेट,</u> ने दस्तावेज दिया कि कितने लोग, विशेष रूप से रोमा और विकलांग लोग, बिलों का भुगतान करने और खाने-कमाने में असमर्थ थे, और जब सोशल कार्ड रजिस्ट्री की शुरूआत के बाद उन्हें सामाजिक सहायता सपोर्ट से हटाया गया तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहे।